।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठ्वाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत तूलेडा

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 3/10 तारीख रज्जू 26.07.2021

01– किशन पुत्र अब्बलसिंह जाति गुर्जर निवासी तूलेडा तहसील अलवर

–प्रार्थी

बनाम

01– तहसीलदार, अलवर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक: 15.11.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल जमाबदी खाता संख्या 247 मोहनलाल पुत्र अव्वल सिंह रिकार्ड दर्ज है। खाता संख्या 250 में प्रार्थी का नाम किशनसिंह पुत्र अव्वल सिंह दर्ज है। जबकि सही नाम किशनसिंह पुत्र अव्वलसिंह है। खसरा नम्बर 1232/001, 1334/021 में भी मोहनलाल दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051 के खाता संख्या 512, 513 में मोहनलाल पुत्र अव्वलसिंह दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त 2020 के खाता संख्या 113, 114, 115 में भी मोहनलाल पुत्र अव्वलसिंह दर्ज है। सम्वत 2020 से पूर्व खसरा बन्दोबस्त में भी अव्वलसिंह का नाम दर्ज है। जमाबन्दी खाता संख्या 2034 में खाता 320, 321, 322 में मोहनलाल पुत्र अव्वल दर्ज है। जबकि सभी दस्तावेजों राशनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड में किशनसिंह पुत्र अव्वल सिंह दर्ज है। प्रार्थी का नाम तुलेडा की जमावन्दी के सभी खातों में मोहनलाल पुत्र अव्वल सिंह के बजाया किशन सिंह पुत्र अव्वल सिंह शुद्ध करने की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार, अलवर द्वारा अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है कि ग्राम तूलेडा की जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 के खाता संख्या 247 में खातेदार मोहनलाल पुत्र अब्बलसिंह व खाता संख्या 250 में किशन पुत्र अब्वलसिंह दर्ज रेकार्ड है जो एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। प्रार्थी ग्राम तूलेडा की जमाबन्दी के सभी खातों में मोहन लाल पुत्र अब्बलसिंह व किशन पुत्र अब्वल सिंह की बजाया किशनसिंह पुत्र अब्बलसिंह शुद्ध करवाना चाहता है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड में किशन लाल उर्फ मोहनलाल पुत्र अब्वलसिंह दर्ज है, रिपोर्ट के साथ पटवारी हलका तूलेडा की जांच रिपोर्ट, मौका पर्चा व भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कस्बा डेहरा जांच रिपोर्ट संलग्न प्रेषित की है।

पत्रावली आज प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021, कैम्प तूलेडा में पेश हुई।

प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत तूलेडा द्वारा की गई। प्रार्थी को सुना। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का नाम मोहन लाल पुत्र अब्बल सिंह के स्थान पर किशन सिंह पुत्र अब्बल सिंह दुरूस्त करने का निवेदन किया।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा नायब तहसीलदार, अलवर रिपोर्ट दिनांक 09.10.2019 मय रिपोर्ट पटवारी, भू.अ.नि. वृत्त कस्बा डेहरा, आधार कार्ड, राशनकार्ड, जमाबन्दी एवं साबिक रिकार्ड। जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 के क्रम संख्या–4 पर मोहनलाल पुत्र अब्बलसिंह हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार दर्ज किया हुआ है जिसका खाता संख्या 247 है। जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 के खाता संख्या 250 के क्रम संख्या–1 पर किशन पुत्र अब्बलसिंह हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत तूलेडा द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर किशन उर्फ मोहन लाल पुत्र अब्बल सिंह निवासी तूलेडा के दो नाम है, किशन नाम को तवज्जों दिये जाने बाबत अंकन किया है। दुदा पुत्र अबलसिंह ने शपथ पत्र पेश कर जाहिर किया है कि मेरा भाई किशन जिसका

उपखण्ड अधिकारी

बचपन का नाम मोहनलाल है किशन एवं मोहन लाल दोनों नाम मेरे भाई के स्वयं के है। दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं नायब तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र अब्बल सिंह के स्थान पर किशन पुत्र अब्बल सिंह दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार अलवर को, जमाबंदी सम्वत 2069–2074 के खाता संख्या 247 एवं मिसल बन्दोबस्त भू प्रबन्ध विभाग, 2051–2070 के खाता संख्या 512 एवं 513 में, मिसल बन्दोबस्त 2020 के खाता संख्या 113, 114, 115 में, जमाबन्दी सम्वत 2034 के खाता 320, 321, 322 में, मोहनलाल पुत्र अब्बलसिंह दर्ज है के स्थान पर किशन पुत्र अब्बलसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 1511.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत तूलेडा में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)